कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य राउमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः–शिविरा/ मा/संस्था/ बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी–17–18/2017/111 दिनांक 25.09.2017 द्वारा किया गया। उक्त आदेश में श्रीमती अनिता यादव को पदोन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र के आधार पर राउमावि ओगाला बाड़मेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया ।

उक्त पदोन्नत कार्मिक ने इस सम्बन्ध में दिनांक 25.09.17 को आयोजित काउन्सलिंग में प्रधानाचार्य पदस्थापन हेतु जारी रिक्तियों की सूची में अपने गृह जिले अलवर में पद रिक्त होते हुए भी काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किये जाने की स्थिति का हवाला देते हुए माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 17396/2017 श्रीमती अनिता यादव बनाम सरकार दायर की। याचिकार्थी के अनुसार काउन्सलिंग के समय अलवर जिले में राउमावि माजरीकलां, राउमावि सांतो, राउमावि नंगली बलाहीर में प्रधानाचार्य के पद रिक्त थे जिन्हें काउन्सलिंग में प्रदर्शित नहीं किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने याचिका संख्या 17396/2017 में दिनांक 01.12.2017 को पारित निर्णय में याचिकार्थी को प्रत्यर्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त अभ्यावेदन का सकारण जरिए स्पीकिंग ऑर्डर 6 सप्ताह में निस्तारण करने सम्बन्धी आदेश दिए गए। याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में अपने पति के अध्यापक पद पर अलवर जिले में कार्यरत होने एवं बच्चों के अलवर में अध्ययनरत रहने की स्थिति का हवाला देते हुए पुनः काउन्सलिंग करवाये जाने सम्बन्धी मांग की है।

याचिकार्थी की मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी द्वारा वर्णित अलवर जिले के राउमावि माजरीकलां, राउमावि सांतो नीमराणा, राउमावि नंगली बलाहीर में प्रधानाचार्य के पद बरबक्त काउन्सलिंग स्पष्ट रूप से रिक्त नहीं थे। याचिकार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.12.2017 का हवाला देते हुए अपनी पुनः काउन्सलिंग करवाये जाने सम्बन्धी मांग की है।

याचिकार्थी की पुनः काउन्सलिंग सम्बन्धी मांग न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार की मांग को पूरा किये जाने की स्थिति में माननीय न्यायालय में वादकरण में वृद्धि होती है जिससे माननीय न्यायालय का अमूल्य समय नष्ट होता है। विभाग द्वारा करवायी गई काउन्सलिंग की प्रकिया में मेरिट अनुसार अभ्यर्थियों का पदस्थापन किया जाता है जिसमें विकलांग, विधवा, परित्यक्ता और एकल महिला को वरीयता में प्राथमिकता दी जाती है। काउन्सलिंग द्वारा अभ्यर्थियों का पदस्थापन वरीयतानुसार उनके स्वयं के चयन एवं विकल्प के आधार पर होता है। याचिकार्थी से उच्च वरीयता धारित कार्मिकों का पदस्थापन भी वरीयतानुसार उनके गृह जिले से बाहर हुआ है अतः इस प्रकार की मांग को उचित नहीं ठहराया जा सकता। विभाग द्वारा आयोजित उक्त प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी व नियमानुसार है।

याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य शिक्षा सेवा का पद है और राज्य एवं लोकहित में उन्हें कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अतः याचिकार्थी के सम्बन्ध में पुनः काउन्सलिंग करवाया जाना संभव नहीं होने के कारण याचिकार्थी **श्रीमति अनिता यादव, प्रधानाचार्य राउमावि ओगाला जिला बाड़मेर का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

व.पु.उ.

क्रमांक—शिविरा—मा. / संस्था / बी—2 / अनिता यादव / याचिका—17396 / 2017 दिनांक: 24.07.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बाडमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा—जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा ।
6. संबंधित संस्था प्रधान ।
7. संबंधित कार्मिक / याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी / रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदौन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश कमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17–18/2017 दिनांक 15.07.2017 द्वारा जरिए काउन्सलिंग किया गया। उक्त आदेश में प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य सूची में वरिष्ठता कमांक 340/2013–14 श्री बसन्त कुमार प्र.अ. को प्रधानाचार्य पद पर पदौन्नति उपरान्त उनके सहमति पत्र के आधार पर राउमावि आलोद डूंगला, चित्तोडगढ पदस्थापित किया गया था।

श्री बसन्त कुमार द्वारा स्वयं के 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने कें बावजूद भी सामान्य अभ्यर्थी के रूप में काउन्सलिंग में शामिल किये जाने व गृह जिले से वंचित रह जाने से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 13437/2017 मुकेश कुमार मीणा व अन्य बनाम सरकार दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2017 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त अभ्यावेदन का सकारण जरिए स्पीकिंग ऑर्डर तीन माह में निस्तारित करने के आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उसके बाद के वरिष्ठता कमांक वाले अभ्यर्थियों को जो कि उन्हीं के समान 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं, विकलांग का लाभ देकर उनकी काउन्सलिंग याचिकार्थी से पहले किये जाने सम्बन्धी शिकायत की गई है व परिवेदना की गई है कि उन्हें अलवर जिले में राउमावि बसई जोगियान, राउमावि माधोगढ, राउमावि मुण्डनवाडा कला–मुण्डावर अथवा राउमावि कांकरदोपा–बहरोड, अलवर में से किसी एक स्थान पर प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जावे।

याचिकार्थी की मांग पर विचार किया गया। विभागीय नियमों के अनुसार काउन्सलिंग में 70 प्रतिशत या अधिक विकलांग अभ्यर्थी को ही दिव्यांग प्राथमिकता कम 1 पर रखा जाकर वरीयता में शामिल किया जाता है। याचिकार्थी द्वारा बरवक्त काउन्सलिंग विकलांगता से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दिव्यांग श्रेणी का लाभ याचिकार्थी को देय नहीं था। जिन अभ्यर्थियों को लाभ देने की बात याचिकार्थी द्वारा कही गई है उनके द्वारा काउन्सलिंग के समय अपनी विकलांगता सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे।

याचिकार्थी द्वारा चाहे गए अलवर जिले के राउमावि बसई जोगियान, राउमावि माधोगढ, राउमावि मुण्डनवाडा कला, मुण्डावर व राउमावि कांकरदोपा बहरोड में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को काउन्सलिंग के समय प्रदर्शित नहीं किया गया क्योंकि काउन्सलिंग के समय प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय प्राथमिकता के अनुसार ही पदों को प्रदर्शित किया गया था। अलवर जिले में वर्तमान में प्रधानाचार्य का कोई भी पद स्पष्ट रूप से रिक्त नहीं है। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का का सुस्थापित सिद्धान्त है कि गृह जिले की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इसी को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी **श्री बसन्त कुमार, प्रधानाचार्य राउमावि आलोद–डूंगला, चित्तोडगढ की गृह जिले में पदस्थापन सम्बन्धी मांग खारिज की जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/बसन्त कुमार/याचिका–13437/2017 दिनांक 29/01/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा , राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग, जयपुर
3. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा जयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अलवर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
7. संबंधित संस्था प्रधान
8. संबंधित कार्मिक / अपीलार्थी
9. निजी / रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)